

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 20/03/2026

विषय:- सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीनें एवं उपस्करों के क्रय एवं अन्य सम्बद्ध विविध कार्यों हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 568,84,00,000/- (रुपये पाँच सौ अड़सठ करोड़ चौरासी लाख) की लागत से स्वीकृत योजना के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से राशि रु० 15,00,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीने एवं उपस्करों के क्रय तथा अन्य सबद्ध विविध कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु० 568,84,00,000/- (रुपये पाँच सौ अड़सठ करोड़ चौरासी लाख) की योजना की विभागीय स्वीकृति राज्यादेश संख्या-810(1), दिनांक-28.08.2020 के द्वारा दी गयी है।

2- भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अबतक प्राप्त आवटनादेश एवं अबतक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एवं निर्माण एजेन्सी (BMSICL)को आवंटित राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Gol Sanction NO. & Date	Dept. Order No. & Date	Central Shares	State Shares
1.	U.14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(1), 24-06-21	02(7)ब, Dtd-03 08 2021	87,71,00,000	23,80,00,200
	U 14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(2), 24-06-21			
	U.14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(3), 24-06-21			
2.	-	332(7), Dtd-21 02 2022		34,67,00,000
3.	-	334(7), Dtd-28 11 2023	62,29,00,000	25,00,00,000
4.	-	457(7), Dtd-30 01 2024		16,53,00,000
कुल योग			1,50,00,00,000	1,00,00,00,200

3- इस योजना हेतु अब तक राज्य योजना मद से आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है।

क्र०स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्ययादेश स० एवं दिनांक
1	2023-24	25,00,00,000	स०-197(7), दिनांक-28 08 2023
2	2023-24	20,00,00,000	स०-637(7), दिनांक-14 03.2024
3	2024-25	40,00,00,000	स०-499(7), दिनांक-10 03 2025
4	2025-26	10,00,00,000	स०-94(7), दिनांक-19 06 2025
5	2025-26	14,00,00,000	स०-126(7ए), दिनांक-20 03.2026
कुल-		1,09,00,00,000	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीनें एवं उपस्करों के क्रय एवं अन्य सम्बद्ध विविध कार्यों हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल ₹० 568,84,00,000/- (रुपये पाँच सौ अड़सठ करोड़ चौरासी लाख) की लागत से स्वीकृत योजना के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से राशि ₹० 15,00,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश स०-810(1), दिनांक-28.08.2020 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- राज्य योजना मद के रूप में इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट स०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

10- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स०स०-1/विविध-16/2020 के पृष्ठ-58/टि० पर प्राप्त है।

13- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2779/वि० दिनांक-19.03.2026 द्वारा निर्गत शिथिलीकरण आदेश के क्रम में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस सदर्थ में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक:-1/विविध-16/2020- 129 (7A) /स्वा०, पटना, दिनांक-20/03/2026


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, सारण (छपरा)/जिला पदाधिकारी, सीवान/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना एव प्रबन्ध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

129 (7A)  
20/03/2026

  
सरकार के अपर सचिव  
ky

पत्र सं०-एम-4-10/2026.२.७.७९.वि०

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,  
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,  
सचिवालय कोषागार,  
विकास भवन, पटना ।


पटना-15, दिनांक.19.03.26

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की निकासी हेतु बंधन शिथिलीकरण के संबंध में।  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के उ विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निर्माण के लिए कुल ₹1108.07 करोड़ निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षोपरान्त संदर्भित प्रस्ताव के आलोक में मात्र ₹530.00 करोड़ की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल किया जात उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-20 के कोड-20-4210-03-050-0103, 20-4210-01-110-0111 एवं 20-4210-03-789-0101 के शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य मद में किये गये उपबंध से विकलनीय होगा ।


विश्वासभाजन

  
(अजय कुमार ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त

ज्ञापांक:-एम-4-10/2026.२.७.७९.वि०,

पटना-15, दिनांक..19.03.26

प्रतिलिपि:-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचिका सं०-07/बजट-46-43/202 /25-26 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त आयुक्त